<u>न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक</u>

प्रकरण संख्या 3 /2022

श्री मोतीलाल कुमावत ई–567 लालकोठी योजना जयपुर राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 6.4.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिमकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू को आवेदन पत्र दिनांक 23–11–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई है :–

पुलिस थाना पीपलू के जांच अधिकारी द्वारा उपरोक्त मृग रिपोर्ट 12/21 में जांच कर जांच रिपोर्ट भिजवादी है मुन्नी देवी के वारिसान ने spl Judge CRC & MACT case Tonk में क्लेम याचिका आरियंटल इन्श्योरेन्स कम्पनी जयपुर में प्रस्तुत की है अधोहस्ताक्षरकर्ता का बीमा कम्पनी ने उक्त याचिका जांच हेतु दी है उनका पत्र मूल ही प्रेषित है।

इस संबंध में बीमा कम्पनी को मृग रिपोर्ट 12/21 की जांच रिपोर्ट पुलिस थाना पीपलू फर्द मौका मुआयना बयान 161 सीआरपीसी, नोटिस 133 एवं 134 M.V.Act RC, DL, फर्द पंचनामा, लाश सुपुर्दगी श्री प्रकाश चालक बीमा कवर नोट, फर्द मैकेनिकल रिपोर्ट मो. सा. न. RJ 14 XD 2940, फर्द जब्ती एवं माननीय आदेश की सत्यापित प्रति चाहिये भिजवाने का कष्ट करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू से अपील के संबंध मे जवाब लिया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू को अपील के संबंध मे जवाब हेतु पंत्राक 300 दिनाक 23.02.2022, 390 दिनाक 25.03.2022 व 470 दिनाक 31.03..2022 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी न तो जवाब प्रेषित किया और न ही अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई है। जबकि लोक सूचना अधिकारी का दायित्व था कि वांछित सूचना संकलित कर प्रार्थी को उपलब्ध करवाते।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:09:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर [illegible] सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू को हिदायत दी जाती है कि [illegible] निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध करवाई जावे तथा इस प्रकरण मे अपील[illegible] को निर्णय की प्रति

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

से 20 दिवस में निःशुल्क सूचना उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:09:38 IST
Reason: SelfAttested